सेवा में

दिनांक : 03.08.2015

निदेशक / जनसूचना अधिकारी

राष्टीय शर्करा संस्था

कल्यानपुर कानपुर

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अर्न्तगत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी, जूनियर तकनीकी अधिकारी (श.प्रौ.); सहायक आचार्य शर्करा प्रौद्योगिकी एवं आचार्य शर्करा प्रौद्योगिकी के भर्ती नियम (R/R) एवं पदभार ग्रहण करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

1. उक्त सभी पदों की वर्तमान भर्ती नियम (R/R) एवं स्वीकृत पदों की संख्या बताई जाये।
2. उक्त सभी पदों के पूर्व के भर्ती नियम (R/R) एवं स्वीकृति पदों की संख्या उपलब्ध कराई जाये।
3. नये भर्ती नियम जो स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं एवं स्वीकृत पदों की संख्या सहित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये।
4. उक्त सभी पदों पर भर्ती किये गये अधिकारियों के नाम एवं पद भार ग्रहण करने का समय बताया जाये।
5. सहायक आचार्य शर्करा शिल्प एवं आचार्य शर्करा शिल्प के पदों पर OBC का Roaster Point अभी तक क्यों नहीं आया है और आगे कब Roaster Point के अनुसार आयेगा कृपया बताने का कष्ट करें।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त के संबंध में अतिशीघ्र सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

Asker
May please deposit
an amount Rs 10 as
RTI fees
[signature]
3/8/15

प्रार्थी

Katiyar

प्रेम शंकर कटियार

वरि0 तक0 सहायक

(श.प्रौ)

Deposited vide TR No 321472 dt. 4.8.15
the Rs 10/- only

[initials]
4/8

RTI-MATTER/BY HAND

सं. 25(52)/2014/RTI/2 26

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन : 0512-2570542, 543
फैक्स : 0512-2570247
ई-मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दिनांक 02-09-2015

सेवा में,

श्री प्रेमशंकर कटियार
वरिष्ठ तकनीकी सहायक,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
कानपुर

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 03-8-2015 के सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचित किया जाता है:-

1. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी), सहायक आचार्य (शर्करा प्रौद्योगिकी), आचार्य, (शर्करा प्रौद्योगिकी) के वर्तमान भर्ती नियम एवं स्वीकृत पदों की संख्या इन भर्ती नियमों में इंगित है। इन भर्ती नियमों की कुल पृष्ठ संख्या 08 है। आपके द्वारा मांगी गयी सूचना तथा आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु रु. 02/- प्रति प्रतिलिपि की दर से 08 पृष्ठों के लिए रु. 16/- (रुपये सोलह मात्र) कैश अनुभाग में जमा कर रसीद गोपनीय अनुभाग में प्रस्तुत करें।
2. आपके प्रार्थना पत्र में मांगे गये पूर्व के भर्ती नियम एवं स्वीकृत पदों की संख्या को देने पर विचार करने हेतु कृपया यह इंगित करें कि किस समयावधि के पूर्व के भर्ती नियम वांछित हैं।
3. नये भर्ती नियम अभी मंत्रालय के विचाराधीन हैं एवं इन पर निर्णय आना अभी बाकी है। सूचना के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत सूचना आज की तिथि में **exist** नहीं करती है अतः इसे देने हेतु विचार इन भर्ती नियमों के (**Final**) होने के उपरान्त ही किया जा सकता है।
4. उपरोक्त तीनों पदों पर नियुक्त अधिकारियों एवं उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि संलग्न है।
5. आपके प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या **5** के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा इंगित समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी, परन्तु साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित रजिस्टर आप किसी भी कार्य दिवस पर (**Prior appointment**) के उपरान्त नियमानुसार देखी जा सकती है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री नरेन्द्र मोहन
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कानपुर 208017

Katiyar

भवदीय
2/9/15
(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी
DIC